

# नोटिस

## भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार

पंत भवन, चतुर्थ तल्ला, पटना-800015

### (अपील अधिकारिता)

अपील सं०-.....07.....वर्ष.....2020.....

.....अग्रणी होम्स प्रा० लि० .....अपीलार्थी

बनाम्

.....श्रीमती नीलू कुमारी.....प्रत्यार्थी

अर्जीदार.....श्रीमती नीलू कुमारी.....द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में

सेवा में,

**श्री आलोक कुमार**

प्रबंध निदेशक

अग्रणी होम्स प्रा० लि०

मकान नं० 15, वार्ड नं० 1FA

पाटलीपुत्र कॉलोनी,

पटना-800013

आपको नोटिस दी जाती है कि उपर्युक्त अर्जीदार ने इस न्यायाधिकरण में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रति इसके साथ उपविद्ध है। आपको इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक-15.06.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में कारण दिखायें कि आपके द्वारा अभी तक माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पारित आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है एवं क्यों नहीं भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 64 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

दिनांक-.....

निबंधक

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण

सेवा में,

- जेम्स जॉर्ज / निवासी

सू-संपदा अनपेक्षित न्यायालय

पटना - बिहार

17

Amul  
@msmsms

विषय -> Rent Appeal No. 7/2020  
(Aruni Homes Pvt Ltd VS Nilu Kumari)

जि.ए.एम.

निर्वाह प्रवृत्त करना है कि गैर Case No-7/2020  
का आदेश दिनांक 03-03-2020 को इस  
न्यायालय से पारित हो चुका है। आपसे आज्ञा  
है कि इसमें लगा राशि को तुरंत फिलॉफी  
की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका  
सदैव आभारी रहूँगी।

आपका विश्वपाली  
Nilu Kumari  
Case No- 7/2020  
Date - 16-03-2020  
संपर्क नं - 997236906